वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 196/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-31.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 31.05.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना- बरदह: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 21.05.25 को वादी मुकदमा के द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि वादी की पोती को आशीष राय पुत्र समाजीत राय निवासी ग्राम जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ दिनाँक 19-05-2025 को समय लगभग 3 बजे भोर में बहला फुसला कर शादी का झासा देकर अपने साथ भगा ले गया तथा आशीष राय मेरे पुत्र के मोबाइल पर भद्दी-भद्दी गाली गुप्ता देता है। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 142/25 धारा 137(2), 87, 352 बी0एन0एस0** बनाम आशीष राय पुत्र सभाजीत राय निवासी ग्राम जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

दौराने विवेचना पीड़िता व अन्य गवाहों के बयान व साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 4(2) लैंगिग अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 व 3(2)5 SC/ST ACT के अपराध का होना पाया गया। अतः मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 4(2) लैंगिग अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 व 3(2)5 SC/ST ACT की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 31.05.25 को उ0नि0 मनीष सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आशीष उर्फ विवेक राय पुत्र सभाजीत राय निवासी ग्राम जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ को दुर्गा मन्दिर के पास जिवली तिराहे से समय 09.10 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-आशीष उर्फ विवेक राय पुत्र सभाजीत राय निवासी ग्राम जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 142/25 धारा 137(2)/87/352/65(1) बीएनएस, 4(2) पाक्सो एक्ट व 3(2)5 SC/ST ACT थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

02.थाना सिधारीः चोरी के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

➡दिनांक 24.05.2025 को वादी अरविन्द सेठ (प्रो0 अरविन्द ज्वैलर्स) पुत्र श्री राधेश्याम सेठ पता – सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया गया कि दिनांक 07.04.2025 को समय 17.00 बजे अज्ञात महिला द्वारा एक जोड़ी सोने का कंगन चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दिया गया जिसके आधार पर मु0अ0सं0 254/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

पूछताछ कर विवरणः-

➡ गिरफ्तार अभियुक्ता समा परवीन पत्नी रईश अहमद निवासी चूड़ीहार मोहल्ला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष द्वारा बताया गया कि मैं बुरका पहन कर सोनार के दुकान पर जाती हूं और मौके मिलने पर जेवर चुरा लेती हूं। दिनांक 22.05.25 को कोतवाली पुलिस द्वारा मेरे पास से 02 जोडी कंगन बरामद किया गया था। वह सोनें के कंगन हैं और चोरी के है। 01 जोडी कंगन मेरे द्वारा दिनांक 29/04/2025 को स्वर्णांजलि ज्वैलर्स जो शंकर जी की मूर्ति के बगल कोतवाली क्षेत्र की दुकान से चोरी किया गया था और दिनांक 07.04.25 को सिधारी थाना क्षेत्र पहलवान तिराहा हरवंशपुर के पास अरविन्द ज्वैलर्स की दुकान से एक जोडी कंगन मेरे द्वारा चुराया गया था। मुझे पता कि सिधारी थाने की पुलिस भी मुझे ढूंढ़ रही है इसलिए मैं आज यहां से कहीं और जाने के फिराक में थी आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तारी का विवरण -

दिनांक- 31.05.2025 को उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा चौकी प्रभारी मूसेपुर मय हमराह के द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता समा परवीन पत्नी रईश अहमद निवासी चूड़ीहार मोहल्ला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को मुखबिर के सूचना पर नरौली तिराहे के पास से समय 06.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्ताः-

समा परवीन पत्नी रईश अहमद निवासी चूड़ीहार मोहल्ला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष

1.मु0अ0सं0- 254/2025 धारा 303(2)/317(2 बी0एन0एस0 थाना सिधारी आजमगढ़

2. मु0अ0सं0- 236/2025 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 31.05.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 05 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 100000-100000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना तरवाः हत्या के प्रयास के 05 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 01-01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 16.05.2016 को वादिनी श्रीमती किशनौता देवी पत्नी कमला गिरी निवासी नदवा थाना तरवा जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना तरवा जनपद आजमगढ़ पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक 15.05.20216 को अभियुक्तगण 1. उमेश गिरी उर्फ अंकुर गिरी पुत्र तारक उर्फ तारकेश्वर गिरी 2. राजन गिरी पुत्र विरेन्द्र गिरी 3. नीरज गिरी पुत्र रामकृत गिरी 4. राम प्रवेश गिरी पुत्र विरेन्द्र गिरी 5, राम दुलारे गिरी पुत्र बटुक गिरी समस्त निवासीगण नदवा थाना तरवा जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के पति कमला गिरी को चुनावी रंजिश के कारण जान से मारने की नीयत से गोली मार कर घायल कर देना।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरवा पर मु0अ0सं0- 67/2016 धारा-147,148,149, 307, 504,506 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 08 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 31. 05.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी कोर्ट नं0-02 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित ***अभियुक्त 1. उमेश गिरी उर्फ अंकुर गिरी पुत्र तारक उर्फ तारकेश्वर गिरी 2. राजन गिरी पुत्र विरेन्द्र गिरी 3. नीरज गिरी पुत्र रामकृत गिरी 4. राम प्रवेश गिरी पुत्र विरेन्द्र गिरी 5, राम दुलारे गिरी पुत्र बटुक गिरी समस्त निवासीगण नदवा थाना तरवा जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 01-01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित*** किया गया।

जनपद से कुल 06 (02 उप-निरीक्षक, 03 मुख्य आरक्षी व 01 लीडिंग फायरमैन) पुलिस कर्मी हुए सेवानिवृत्त

आज दिनांक- 31.05.2025 को जनपद आज़मगढ़ पुलिस से 02 उप-निरीक्षक, 03 मुख्य आरक्षी व 01 लीडिंग फायरमैन सेवानिवृत्त हुए, जिनकी विदाई का कार्यक्रम पुलिस लाइन आजमगढ़ स्थित सभागार में आयोजित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी द्वारा सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मान पूर्वक मिठाई और गले में फूल माला पहनाकर व मोमेन्टो देकर विदाई की गई, सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को उनके आने वाले भविष्य के लिए स्वास्थता की कामना की गयी। उक्त कार्यक्रम में सीओ सदर आस्था जायसवाल व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारीगण का विवरणः-

1. उप-निरीक्षक नागरिक पुलिस जय प्रकाश पाण्डेय, पीएनओ- 832060382, थाना फूलपुर, आजमगढ़
2. उप-निरीक्षक नागरिक पुलिस कमला प्रसाद पाण्डेय, पीएनओ- 842380493, सरायमीर, आजमगढ़
3. मु0आ0 नागरिक पुलिस अवधेश कुमार पाण्डेय, पीएनओ- 840560607, पुलिस लाइन, आजमगढ़
4. मु0आ0 नागरिक पुलिस जुबेर अहमद, पीएनओ- 842380618, थाना बरदह, आजमगढ़
5. मु0आ0 नागरिक पुलिस बृजेन्द्र प्रताप सिंह, पीएनओ- 842090548, पुलिस लाइन, आजमगढ़
6. लीडिंग फायरमैन, नन्द जी यादव, पीएनओ- 882762414, फायर स्टेशन, आजमगढ़